2022

ता० 07-06-2022

स्वराज पार्टी (S)
(सुभाष चन्द्र बोस)

सेन्ट्रल आफिस
ग्राम व पो० सेमरी खानकोट जिला सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय उ०प्र० लखनऊ

सेवा में :—

सविनय निवेदन है कि प्रो बी की पार्टी गांव मे है और हम लोग छोटे किसान है अतः चुनाव मे अपना थोड़ा बहुत धान गेहू इत्यादि बेच कर पार्टी का कार्य चलता है।

रहा प्रश्न चन्दे की तो कोई व्यक्ति एक पैसा चन्दा देने वाला नही है।

ध्यान दिया जाय की पार्टी पार्टी पहले एक हिन्दू राजनैतिक संगठन - अपना हिन्दू राम भक्त पार्टी था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव पर "स्वराज पार्टी - एस" कर दिया गया तब से न तो कोई खाता पार्टी का है नही पहले पहले अपना हिन्दू राम भक्त पार्टी का खाता भी समाप्त हो गया

जैसे ही पार्टी का खाता बैंक मे खोला जायेगा उसकी सूचना आयोग को तुरन्त दे दी जायेगी

गलतियों तथा देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

आपका
[signature]

राष्ट्रीय अध्यक्ष
[illegible] सिंह
स्वराज पार्टी (सुभाष चन्द्र बोस)
ग्राम व पो० सेमरी खानकोट
[illegible] सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

SS2

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्याः 1338 / सीईओ–2 लखनऊ दिनांकः 28 मई, 2022

सेवा में,

अध्यक्ष / महामंत्री / कोषाध्यक्ष,
Swaraj Party – Yes (Subhash Chandra Bosh)
Village & P.O. Semrikhan Kot, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh-272 192.

विषयः **रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 25 मई, 2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–29(ग) तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के कम में रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को Contribution Report तथा Annual Audit Account मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है।

2– वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 की Contribution Report तथा Annual Audit Account इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना था। इस कार्यालय की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 से सम्बन्धित राजनैतिक दलों की सूची अपलोड कर दी गई है और जिन दलों द्वारा उक्त रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, उनको वर्षवार दलों की सूची में पीले रंग से इंगित किया गया है।

3– उक्त वांछित अभिलेख न उपलब्ध कराये जाने की दशा में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश दिनांक 25 मई, 2022 (प्रति संलग्न) द्वारा अपेक्षा की है कि उपरोक्त स्थिति के सम्बन्ध में आपको सूचित करते हुए नियत समय–सीमा में अनुपालन हेतु अवगत करा दिया जाय।

4– तत्कम में आपसे अपेक्षित है कि आयोग के आदेश के कम में वांछित समस्त अभिलेखों सहित अनुपालन आख्या निर्धारित समय–सीमा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5– उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि जिन दलों द्वारा निर्वाचनों में भाग लिया गया है और Election Expenditure Statement नहीं दिया गया है, उनके द्वारा अग्रेतर कार्यवाही से बचने हेतु उक्त स्टेटमेन्ट नियत समय–सीमा में उपलब्ध करा दिया जाय। लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में जिन रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा प्रतिभाग किया गया था, उन दलों की सूची इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और जिन दलों द्वारा Election Expenditure Statement की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, उन्हें पीले रंग में इंगित किया गया है।

कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनीष शुक्ल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

F:\VIDHAN SABHA-2017\BYE ELECTION-2022\Bye Election-2022-Lok Sabha.docx